राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(80) पोषा./milk/ICDS/2018 175472-808 जयपुर, दिनांक 1/10/18

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त।

विषयः– "मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना " के कियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत।

आंगनबाडी केन्द्रो पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चो, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओ को पूरक पोषाहार के साथ–साथ सप्ताह में तीन दिन दूध पिलाने हेतु माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा घोषित "मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना " के कियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते है–

1. आंगनबाडी केन्द्रो पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चो को 15 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर का तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा किशोरी बालिकाओ को 19 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर का (एक दिवस के हिसाब से) पूरक पोषाहार के साथ–साथ सप्ताह में तीन दिन दूध उपलब्ध कराने हेतु स्किम्ड मिल्क पाउडर के 360 ग्राम एवं 456 ग्राम के पैकेट आठ सप्ताह (दो माह)के लिए एक बार आपूर्ति किए जा रहे है।
2. राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा 215.00 रुपये प्रति किलो (5 प्रतिशत वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) की निर्धारित दरो पर परियोजना कार्यालय (Upto Block level/project level) तक परिवहन एवं लदाई, उतराई व्यय सहित सम्पूर्ण राज्य में आपूर्ति की जावेगी।
3. राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा समस्त आपूर्ति संतोषपूर्ण ढंग से परियोजना कार्यालयो पर की जाकर इसकी पुष्टि में विधिवत स्पष्ट रसीद परियोजना कार्यालयो से प्राप्त की जाएगी। उक्त रसीद को सामग्री प्रदाय के बिल के साथ संलग्न कर आरसीडीएफ को अग्रिम भुगतान की गई राशि के पेटे समायोजन की कार्यवाही हेतु निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं को प्रस्तुत करनी होगी। जिसकी पूर्ण जांच कर संतुष्टि के पश्चात बिल कोषागार से पारित कराया जाकर भुगतान योग्य राशि के समायोजन की कार्यवाही निदेशालय द्वारा की जावेगी।
4. परियोजनाओं की मांग का आंवटन/आंकलन विभागीय आदेश दिनांक 07.06.2018 को जारी परिसीमन के आधार पर आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या के अनुसार किया गया है। समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग यह सुनिश्चित करे कि उक्त मात्रा में कमी/वृद्धि होने पर प्राप्त मात्रा को अन्य परियोजनाओं से समायोजित कर पूर्ति व्यवस्थित की जाये एवं मात्रा कम होने की स्थिति में अविलम्ब

निदेशालय को मांग पत्र प्रस्तुत किया जाये। साथ ही परियोजनाओ में प्राप्त Skimmed Milk Powder की प्राप्ति एवं वितरण की जानकारी के साथ– साथ शेष रहे पैकेट एवं आगामी मांग निम्नलिखित प्रारूप में निदेशालय को प्रेषित करे। (संलग्न– मांग पत्र प्रारूप)

दूध हेतु मांग पत्र

क्र. स.	जिला/ परियोजना का नाम	आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या	मिनी आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या	SMP की आवश्यक मात्रा (मै.टन में)				कुल मात्रा (मै.टन में)
				3–6 वर्ष के बच्चो के लिए 360 ग्राम के पैकेट		गर्भवती/धात्री महिलाओ एवं किशोरी बालिकाओ के लिए 456 ग्राम के पैकेटो की संख्या		
				पैकेट संख्या	मात्रा (मै.टन में)	पैकेट संख्या	मात्रा (मै.टन में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. आपूर्ति किए गए Skimmed Milk Powder के उपयोग/उपभोग की विधि की जानकारी/प्रचार–प्रसार के लिए समस्त उपनिदेशको द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जावें, जिसमें राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन के जिला स्तरीय कार्यालय से प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षको को आंमत्रित कर जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षको का आमुखीकरण करवाया जावें।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त निम्नलिखित निर्देशो की पालना सुनिश्चित करे–
   i. परियोजनाओ को आवंटित Skimmed Milk Powder के पैकेट प्राप्त कर स्वच्छ, नमी रहित सुरक्षित स्थान पर रखवाते हुए अविलम्ब आंगनबाडी केन्द्रो पर आपूर्ति करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्राप्त बैग्स/पाउच का रेण्डम सैम्पलिंग के आधार पर वजन करा कर यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि प्रत्येक बैग व पाउच निर्धारित वजन का है। इस योजना में मिनी आंगनबाडी केन्द्रो हेतु भी आंवटन किया गया है। मिनी आंगनबाडी केन्द्रो को पंजीकृत लाभार्थियो के अनुसार दूध पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।

   ii. आंगनबाडी केन्द्र पर स्टॉक में पहले प्राप्त दूध पैकेटो का लाभार्थियो को पूर्ण वितरण किए जाने के पश्चात ही बाद में प्राप्त पैकेटो का वितरण हेतु उपयोग किया जावें। जिससे दूध पैकेटस के अवधिपार होने की संभावना को रोका जा सके। आवंटित दूध की मात्रा में कमी करने अथवा अतिरिक्त आवश्यकता होने पर उपनिदेशक के माध्यम से निदेशालय को मांग पत्र तुरंत प्रेषित करावें।

iii. प्राप्त Skimmed Milk Powder की सर्वोतम उपयोग अवधि एक वर्ष है। यह सुनिश्चित करे कि पाउच प्राप्ति माह से 3 महिने से पूर्व का उत्पादित नही होना चाहिए।

iv. प्राप्त Skimmed Milk Powder का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर प्राप्ति के रूप में चालान पर हस्ताक्षर मय मोहर एवं प्राप्ति दिनांक को अंकित करावें। परियोजना अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी द्वारा प्राप्ति रसीद दिए जाने पर हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम व पद स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करे।

v. Skimmed Milk Powder के पाउच आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चो को 15 ग्राम तथा गर्भवती/धात्री महिलाओ एवं किशोरी बालिकाओ को 19 ग्राम (प्रतिदिवस के हिसाब से) सप्ताह में 3 दिन उपयोग हेतु 8 सप्ताह(दो माह) की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कमशः 360 एवं 456 ग्राम के पाउच प्रति लाभार्थी हेतु उपलब्ध करवाएं जावे।

vi. परियोजना कार्यालय से आंगनबाडी केन्द्रो तक परिवहन का कार्य परियोजना अधिकारियो द्वारा किया जाना है। जिसके लिए अलग से बजट का आवंटन किया जाएगा।

vii. बाल विकास परियोजना अधिकारी पाउच प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित कर लेवें कि प्राप्ति के समय पाउच अवधिपार, भीगा हुआ एवं कटा–फटा नही हों ।

viii. आंगनबाडी केन्द्रो पर की प्राप्ति एवं वितरण का रजिस्टर संधारित कराते हुए पंजीकृत लाभार्थियो को श्रेणीवार (आयुवर्ग 3–6 वर्ष के बच्चो को 360 ग्राम के पैकेट तथा गर्भवती/धात्री महिलाओ एवं किशोरी बालिकाओ को 456 ग्राम के) उपलब्ध करावें। इस संबंध में आगामी सेक्टर बैठको में व्यापक दिशा–निर्देश प्रसारित कराए जावें।

ix. बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि आंगनबाडी केन्द्रो पर वास्तविक रूप से पंजीकृत लाभार्थियो को ही दूध पैकेट का वितरण किया जावें। महिला पर्यवेक्षको द्वारा आंगनबाडी केन्द्रो के निरीक्षण के दौरान दूध वितरण के रिकोर्ड का विशेष रूप से सत्यापन किया जावें।

x. "मुख्यमंत्री अमृत आहार" योजनान्तर्गत आपूर्ति किए गए Skimmed Milk Powder के पैकेट आंगनबाडी केन्द्र पर पंजीकृत लाभान्वितो को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने है। इनका बिकी अथवा अन्य किसी भी प्रकार का दुरूपयोग होने की स्थिति में परियोजना अधिकारियो का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

"मुख्यमंत्री अमृत आहार" योजनान्तर्गत लाभान्वितो को Skimmed Milk Powder के पाउच उपलब्ध कराए जाने की स्थिति की मॉनेटरिंग करने हेतु सभी स्तरो पर अधिकारियो द्वारा अपने भ्रमण व निरीक्षण के दौरान दूध आपूर्ति व्यवस्था का भी निरीक्षण किया जाएगा।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।

क्रमांक–एफ.3(80) पोषा./milk/ICDS/2018 175809-823 जयपुर, दिनांक 1/10/18
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारी गण, मुख्यालय ।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(जिज्ञासा गौड)
अतिरिक्त निदेशक(पोषा.)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in